संख्या-326/2017/2310/22-2-2016-17(299)/1992

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री नेतराम, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44183/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 17-11-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 15-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री नेतराम, ग्राम-हरिहरपुर, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। जमीनी विवाद के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29.05.1982 को दोपहर लगभग 12.00 बजे लाठी, बन्दूक व तमंचा आदि से हमला कर 04 व्यक्तियों की हत्या एवं 08 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-145/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खीरी ने दिनांक 10.10-1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ ने दिनांक 07.05.1984 द्वारा बन्दी की आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.10.2016 तक 27 वर्ष 11 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 37 वर्ष 02 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 57 वर्ष 02 माह लगभग है। प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, लखीमपुर खीरी से प्राप्त अभिमत दिनांक 04.10.2016 में अवगत कराया है कि यह मामला 04 व्यक्तियों की हत्या तथा 08 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल किये जाने से सम्बन्धित है। हत्यायें दो नाली एवं एक नाली लाइसेंसी बन्दूक तथा तमंचा के फायर एवं कांते के प्रहार से की गयी है। अत: उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बन्दी को समयपूर्व रिहा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं होगा। सलाहकार समिति का अभिमत है कि जमीनी विवाद के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29.05.1982 को दोपहर 12.00 बजे लाठी, बन्दूक व तमंचा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदि से हमला कर 04 व्यक्तियों की हत्या एवं 08 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, खीरी की आख्यानुसार बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना है एवं पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री नेतराम को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-18844(एम0/बी0)/2016 हरीशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-08-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरीशंकर (बन्दी संख्या-26470) पुत्र श्री नेतराम, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-326/2017/2310/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।